2025:CGHC:35905

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1428/2022

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,द्वाराः मंडल प्रबंधक, डिविजनल ऑफिस, तृतीय तल, सरस्वती मंदिर (मराठी ग्रांट संघड़ के सामने, जिला परिषद कार्यालय, सुभाष रोड, ठाणे (महाराष्ट्र) स्थानीय कार्यालय– डी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टी.पी. नगर, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.), इस अपील में प्रतिनिधित्व द्वाराः प्रभारी, लीगल हब, लीगल हब कार्यालय, रामा ट्रेड सेंटर, प्रथम तल, राजीव प्लाजा के सामने, पुराना बस स्टेण्ड, बिलासपुर (छ.ग.) पिन– 495001

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– श्रीमती रेणु अनंत पति स्व. श्री महेंद्र कुमार अनंत, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बेलटुकरी, पोस्ट खसोरा, पुलिस चौकी पंतोरा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान पता– द्वारा पुष्पा कुर्रे, दादरखुर्द, कंकालिन मंदिर के पास, नगर निगम– कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2– कु. अवंतिका अनंत पिता–स्व. श्री महेंद्र कुमार अनंत आयु लगभग 1 वर्ष अवयस्क, द्वाराः प्रतिनिधित्व मां और प्राकृतिक संरक्षक प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती रेणु अनंत, पति–स्व. श्री महेंद्र कुमार अनंत,आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम बेलटुकरी, पोस्ट खसोरा, पुलिस चौकी पंतोरा, थाना–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान पता – द्वारा पुष्पा कुर्रे, दादरखुर्द, कंकालिन मंदिर के पास, नगर निगम–कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

3– कोमल प्रसाद पिता छेदूराम अनंत, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम बेलटुकरी, पोस्ट खसोरा, पुलिस चौकी पंतोरा,थाना–बलौदा,जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान पता– द्वारा पुष्पा कुर्रे, दादरखुर्द, कंकालिन मंदिर के पास, नगर निगम–कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

4– खुशी बाई पति कोमल अनंत, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम बेलटुकरी, पोस्ट खसोरा, पुलिस चौकी पन्तोरा, थाना–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान पता– द्वारा पुष्पा कुर्रे, दादरखुर्द, कंकालिन के पास मंदिर, नगर निगम–कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

5– कु. शिवांगी अनंत पिता–स्व. श्री महेंद्र कुमार अनंत, आयु लगभग 09 माह, अवयस्क,द्वाराः प्रतिनिधित्व मां एवं प्राकृतिक संरक्षक प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती रेणु अनंत,पति स्व. श्री महेंद्र कुमार

अनंत, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बेलटुकरी, पोस्ट खसोरा, पुलिस चौकी पंतोरा, थाना–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) वर्तमान पता – द्वारा पुष्पा कुर्रे, दादरखुर्द, कंकालिन मंदिर के पास, नगर निगम–कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

6– अंकित कुर्रे पिता–संगन कुर्रे,आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी–बांकीमोंगरा, थाना–बांकीमोंगरा, जिला कोरबा (छ.ग.) तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) (वाहन चालक)

7– कुलदीप कुर्रे पिता–संगन कुर्रे,आयु लगभग 30 वर्ष,निवासी– मकान क्रमांक–13/04 बांकीमोंगरा, थाना– शक्ति चौक, बांकीमोंगरा, ब्राह्मणपारा, तहसील कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) (वाहन स्वामी)

...प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण क्रमांक 6 व 7 की ओर से : श्री विजय कुमार साहू, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकलपीठ– माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

24.07.2025

1. यह अपील मोटर यान अधिनियम,1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के अधीन अपीलार्थी (बीमा कंपनी) द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोरबा द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 8/2020 में दिनांक 03/09/2022 को पारित आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें दावाकर्तागण (प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5) के पक्ष में क्षतिपूर्ति के संदाय का दायित्व अपीलार्थी (बीमा कंपनी) पर अधिरोपित किया गया है।

2. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य यह हैं कि 06/12/2019 को, मृतक महेंद्र कुमार अनंत और उत्तम कुर्रे (अ.सा.–2) कार्य के उपरांत अपनी मोटरसायकल से घर लौट रहे थे, तभी एक पिकअप वाहन जिसका पंजीयन क्रमांक CG 12/AW/5231 था, उनके सामने आ गया और प्रत्यर्थी क्रमांक 6 की तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण दुर्घटना हुई जिसके कारण महेंद्र कुमार अनंत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पुलिस थाना बलौदा, जिला जांजगीर–चांपा में दी गई और प्रत्यर्थी क्रमांक 6 (दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक) के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) पंजीबद्ध की गई। प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 से 5/दावाकर्तागण ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अधीन दावा अधिकरण के समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विद्वान दावा अधिकरण ने रु. 20,72,084/–

रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में 6% वार्षिक ब्याज के साथ अधिनिर्णीत किए और इसमें क्षतिपूर्ति के संदाय का दायित्व अपीलार्थी पर अधिरोपित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि दुर्घटना की तिथि को दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के पास वैध परमिट नहीं था, जैसा कि अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के अधीन आवश्यक है, इसलिए अपीलार्थी (बीमा कंपनी) को क्षतिपूर्ति के संदाय के दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए था।

4. प्रत्यर्थीगण क्रमांक 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया उपरोक्त आधार हालाँकि दावा अधिकरण के समक्ष उठाया गया था, किंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए, अपीलार्थी (बीमा कंपनी) को दावाकर्तागण के पक्ष में क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी (बीमा कंपनी) ने दावा अधिकरण के समक्ष दो अभिवचन किया। पहला, यह कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन एक हल्का माल वाहन है जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 (वाहन चालक) के पास केवल हल्के मोटर यान का ड्राइविंग लाइसेंस था और दूसरा, यह कि दुर्घटना की तिथि को, प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के पास वैध परमिट नहीं था और वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

7. अपीलार्थी (बीमा कंपनी) द्वारा प्रस्तुत प्रथम अभिवचन के संबंध में कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन एक हल्का माल वाहन है जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 (वाहन चालक) के पास केवल हल्के मोटर यान का ड्राइविंग लाइसेंस था, ज्ञात हो कि विद्वान दावा अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन एक हल्का माल वाहन है और इसका वजन 7500 किलोग्राम से कम है एवं इसके अतिरिक्त, **मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[1]के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लेते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 2(21), 2(15) और 2(48) के अनुसार, परिवहन यानों को हल्के मोटर यानों से अलग नहीं किया गया है। 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन यान हल्के मोटर वाहनों की श्रेणी

1 (2017) 14 SCC 663

में आते हैं और चूँकि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के पास दुर्घटना की तिथि को हल्के मोटर यान चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चला रहा था।

8. **मुकुंद देवांगन** (पूर्वोक्त) प्रकरण में पारित निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा **बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध रंभा देवी व अन्य**[2] के प्रकरण में यथावत रखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि 7500 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाले वाहनों के लिए 1988 के अधिनियम की धारा 10(2)(घ) के अधीन हल्के मोटर यान (हल्का मोटर यान) वर्ग के लिए लाइसेंस रखने वाले चालक को अधिनियम की धारा 10(2)(ड़) के अधीन विशेष रूप से "परिवहन यान" वर्ग के लिए अतिरिक्त प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना "परिवहन यान" चलाने की अनुमति है। लाइसेंसिंग के प्रयोजनार्थ, हल्का मोटर यान और परिवहन यान पूरी तरह से अलग वर्ग नहीं हैं। दोनों के मध्य एक ओवरलैप मौजूद है।

9. इस प्रकार, **मुकुंद देवांगन** (पूर्वोक्त) और **रंभा देवी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में, विद्वान दावा अधिकरण ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के पास दुर्घटना की तिथि को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, जो मेरे सुविचारित अभिमत में न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. जहाँ तक प्रत्यर्थी क्रमांक 6 (दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक) की दूसरे अभिवचन का संबंध है कि दुर्घटना की तिथि को उसके पास वैध परमिट नहीं था, यद्यपि अपीलार्थी (बीमा कंपनी) ने लिखित कथन में यह बात कही थी, किंतु इस पर बल नहीं दिया गया क्योंकि इसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी (बीमा कंपनी) के कार्यालय के सहायक प्रबंधक श्री के.जी. सुनील कुमार (ब.सा.–1) से अधिकरण के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि दुर्घटना की तिथि को प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के पास वैध परमिट नहीं था, जैसा कि अपेक्षित था और उन्होंने अपने साक्ष्य को केवल प्रत्यर्थी क्रमांक 6 द्वारा हल्के मालवाहक वाहन चलाने के संबंध में बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन तक ही सीमित रखा और इस प्रकार, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस प्रकार, मुझे इस अपील में कोई ठोस आधार नहीं मिलता जिसके लिए विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।

---

2 (2025) 3 SCC 95

11. तदनुसार, यह अपील खारिज की जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद–व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur